ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

बनाम

बृज मोहन एण्ड अन्य

15 मई, 2007

[एस.बी सिन्हा और मार्कंडी काटजू, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 147- तृतीय पक्ष जोखिम-बीमाकर्ता का दायित्व-माल वाहन-मिट्टी खोदी गई, ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली में ईंट भटटे के लिए ले जाया गया- चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने पर ट्रॉली में यात्रा करने वाले मजदूर को गंभीर चोटें आईं क्षतिपूर्ति- बीमाकर्ता के खिलाफ अवार्ड पारित-निर्णीतः ट्रैक्टर का बीमा कृषि कार्य करने के लिए किया गया था और ट्रैक्टर का उपयोग उसी के लिए नहीं किया गया था-दावेदार न तो मालिक था और न ही चालक, बल्कि केवल ट्रॉली पर यात्रा करने वाला यात्री, इस प्रकार दावा संधारणीय नहीं है- हालाँकि गरीब मजदूर होने के नाते और गंभीर चोटों का सामना करने के कारण, कम मुआवजा दिया जाता है-इस प्रकार, बीमा कंपनी द्वारा अवार्ड की राशि अदा की जाए जिसे वह ट्रैक्टर और ट्रॉली के मालिक से वसूल कर सकती है।

प्रथम प्रत्यर्थी-श्रमिक खेत से मिटटी खोदने के कार्य हेतु नियुक्त था तथा मिटटी ट्रैक्टर के साथ जुडी ट्रॉली में भरकर ईंट भटटे के लिये ले जाई गई। प्रत्यर्थी ट्रॉली में भरी मिटटी के उपर बैठा था तथा ड्राईवर के द्वारा ट्रैक्टर को तेज गति से व लापरवाही से चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रथम प्रत्यर्थी ट्रॉली से फिसल गया तथा पहियों के नीचे आ गया जिससे उसे गंभीर उपहतियां कारित हुई। ट्रैक्टर मात्र कृषि कार्य करने

के प्रयोजन हेतु बीमित था। प्रत्यर्थी ने एक दावा याचिका दायर की। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि केवल ट्रैक्टर का बीमा किया गया था और इसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था और प्रीमियम का भुगतान केवल ट्रैक्टर के चालक के लिए किया गया था। एम.ए.सी.टी. ने प्रत्यर्थी के पक्ष में मुआवजा प्रदान किया। उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया। अतः वर्तमान अपील पेश हुई।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1.1. ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी के इस तर्क पर कि ट्रॉली का बीमा नहीं किया गया था, न्यायाधिकरण ने विचार किया था। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि ट्रैक्टर के मालिक ने ट्रॉली के संबंध में कोई बीमा कवर प्रस्तुत किया था। ट्रैक्टर का बीमा केवल कृषि कार्यों के लिए किया गया था। बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि ने प्रतिपरीक्षा में केवल इस सुझाव को स्वीकार किया कि मिट्टी को काटना और खेत को मिट्टी के साथ समतल करना एक कृषि कार्य होगा। लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी दावा याचिका में स्पष्ट रूप से कहा कि मिट्टी को खोदा गया था और ट्रॉली में ईंट भटटे तक ले जाया जा रहा था। स्पष्ट रूप से मिटटी का उपयोग केवल ईंटों के निर्माण के उद्देश्य से किया जाना था। ईट भटटे के निर्माण के उद्देश्य से मिट्टी की खुदाई निर्विवाद रूप से कृषि कार्य को पूरा करने के बराबर नहीं हो सकता है। **[पैरा 8] [846-जी, एच; 847-ए-बी]**

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम वी. चिन्नाम्मा और अन्य. **[2004] 8 एससीसी 697 , संदर्भित किया गया।**

1.2. प्रत्यर्थी न तो ट्रैक्टर का मालिक था और न ही चालक। मात्र ट्रैक्टर से जुडी ट्रॉली पर सवार व्यक्ति था। इसलिए उनकी दावा याचिका स्वीकार नहीं की जा

सकती। हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 1 एक गरीब मजदूर है। उसे गंभीर चोटें आई थीं और वह काफी हद तक विकलांग हो गया था। उसके पक्ष में दिए गए मुआवजे की राशि कम प्रतीत होती है। उपरोक्त स्थिति में, हालांकि प्रत्यर्थी की अन्य दलीलों को खारिज किया जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है तथा यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा अवार्ड की राशि अदा की जावे, लेकिन वह ट्रैक्टर और ट्रॉली के मालिक से इसे प्राप्त करने का हकदार होगा, मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रदान की गई राशि की वसूली के लिए कोई अलग कार्यवाही शुरू करना उसके लिए आवश्यक नहीं होगा। **[पैरा 10 और 13] [848-सी; 851-ई-एफ]**

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी और अन्य। [2003] 2 एससीसी 223; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोम्मिथी सुभायम्मा और अन्य ।, [2005] 12 एस. सी. सी. 243; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शिमला बनाम तिलक सिंह, [2006] 4 एस. सी. सी. 404; नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर और अन्य। , [2004] 2 एस. सी. सी. 1; नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धूत, (2007) 4 स्केल 36; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल एवं अन्य । (2007) 5 स्केल 269 और नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड v. कुसुम राय और अन्य । , [2006] 4 एस. सी. सी. 250, संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2532/2007

जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के डी. बी. सिविल अपील (सिविल) सं. 57/1999 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 27.01.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

एम. के. दुआ और किशोर रावत अपीलार्थी की ओर से।

इंदु मल्होत्रा, पूजा चंद्र, शिल्पी कौशिक और कविता वाडिया प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **एस. बी. सिन्हा, जे.** द्वारा पारित किया गया। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलार्थी बीमा कंपनी हमारे सामने राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित किए गए दिनांक 27.1.2004 के निर्णय और आदेश जिसके द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण बाराँ ¼राजस्थान½ द्वारा निर्णय एवं अवार्ड दिनांकित 07.04.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई, से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण आई है।

3. प्रथम प्रत्यर्थी बृज मोहन ने दावा याचिका दायर की। वह एक मजदूर था। दिनांक 11.3.1998 पर या उसके आसपास वह एक ट्रेक्टर से जुडी ट्रॉली पर यात्रा कर रहा था। इस बात पर विवाद है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों का बीमा किया गया था या नहीं। उक्त प्रश्न का निर्धारण करना आवश्यक नहीं है। वह शिशवाली का रास्ता नामक स्थान से मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। इस तरह खोदी गई मिट्टी को ट्रैक्टर से जुडी ट्रॉली पर लादा गया था। प्रत्यर्थी और अन्य मजदूर भट्टे (ईंट-क्लिन) की ओर लौट रहे थे। वह ट्रॉली पर लदी मिट्टी पर बैठा हुआ था। कथित तौर पर चालक हेमराज द्वारा ट्रैक्टर को लापरवाही से चलाया जा रहा था। वह ट्रॉली से नीचे फिसल गया, उसके पहियों के नीचे आ गया, जिससे उसकी पित्ताशय और बाईं जांघ घायल हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं।

4. विद्वान न्यायाधिकरण ने उक्त कार्यवाहियों में अपीलार्थी द्वारा उठाए गए बचाव पर ध्यान दिया, जो निम्न प्रकार थेः

(i) ट्रॉली का बीमा नहीं था, और केवल ट्रैक्टर का बीमा किया गया था;

(ii) चूंकि ट्रैक्टर का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं किया जा रहा था, इसलिए दावा किया गया याचिका विचारणीय नहीं थी।

(iii) केवल एक व्यक्ति के लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया है,अर्थात्, ट्रैक्टर का चालक; अतः बीमाकर्ता के खिलाफ कोई अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता था।

5. हालाँकि, न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय के कारण उल्लेखित करते हुए कुल 1,96,100 /- रूपये की राशि प्रत्यर्थी के पक्ष में मुआवजे के रूप में उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप उन्हें लगी चोटों के संबंध में अवार्ड की। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील उच्च न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय में वर्णित आधारों पर खारिज कर दी गई ।

6. श्री एम. के. दुआ, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने भी विवादित अवार्ड और निर्णय पारित करने में स्पष्ट त्रुटियां कीं क्योंकि वे निम्न तथ्यों पर गौर करने में असफल रहे कि-

(i) अकेले ट्रैक्टर का बीमा किया गया था और इस प्रकार दावा याचिका संधारण योग्य नहीं है ।

(ii) किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थी सं । केवल एक लापरवाह यात्री था। और इस प्रकार दावा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 के तहत कवर नहीं होता था ।

(iii) ट्रैक्टर का उपयोग जहां कृषि उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है वहां बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया था ।

7. इसके विरोध में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री इंदु मल्होत्रा, द्वारा तर्क दिया गया किः

(i) यह सवाल कि क्या ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों बीमित थे अथवा नहीं न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं उठाया गया है, इस न्यायालय को इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को उक्त तर्क उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

(ii) अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने अपने बयान में अदालत में स्वीकार किया कि मिटटी डालना और मैदान को समतल करना यह एक कृषि कार्य भी होगा और इसलिए अब ऐसा तर्क नहीं दिया जा सकता कि ट्रैक्टर का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था।

(iii) किसी भी स्थिति में प्रत्यर्थी को आई गंभीर चोटों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को अपीलार्थी को अवार्ड की राशि भुगतान करने तथा उक्त राशि को ट्रेक्टर ट्रॉली के मालिक से वसूल करने का निर्देश देना चाहिये ।

8. न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में, अपीलार्थी के इस तर्क पर ध्यान नहीं दिया है कि अपीलार्थी ने ट्रॉली के बीमित नहीं होने की प्रतिरक्षा ली है। रिकॉर्ड पर यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि ट्रेक्टर मालिक ने ट्रॉली के संबंध में कोई भी बीमा कवर प्रस्तुत किया। इसके अलावा इस बात पर विवाद नहीं है कि ट्रैक्टर का बीमा केवल कृषि कार्यों को करने के उद्देश्य से किया गया था। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री हरि सिंह मीणा ने जिरह पर केवल इस सुझाव को स्वीकार किया कि मिटटी काटना तथा मिट्टी के साथ खेत को समतल करना एक कृषि कार्य होगा लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं ने अपनी दावा याचिका में स्पष्ट रूप से कहा कि मिट्टी को खोदा गया था और उसे ट्रॉली में ईट भटटे तक ले जाया जा रहा था। स्पष्ट रूप से मिटटी का उपयोग केवल

ईंटों के निर्माण के उद्देश्य से किया जाना था। ईंटों के निर्माण के उददेश्य में मिटटी की खुदाई निर्विवाद रूप से कृषि कार्य करने के बराबर नहीं मानी जा सकती ।

9. नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम वी. चिन्नाम्मा और अन्य, [2004] 8 एससीसी 697 में इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

> "14. वाहन में यात्रा कर रहे माल के स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के लिए बीमा दिनांक 14-11-1994 से अर्थात 1994 के संशोधन अधिनियम 54 के लागू होने की तारीख से अनिवार्य होगा ।
>
> 15. इसके अलावा, एक ट्रैक्टर एक "माल वाहन" भी नहीं है। अभिव्यक्ति माल वाहन को धारा 2 (14) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है माल की ढुलाई के लिए निर्मित या अनुकूलित मोटर वाहन या कोई मोटर वाहन जो इस तरह से निर्मित या अनुकूलित नहीं है जब माल की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाता है "
>
> जबकि "ट्रैक्टर" को धारा 2 (44) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "एक मोटर वाहन जो स्वयं किसी भी भार को ले जाने के लिए निर्मित नहीं है (प्रणोदन के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के अलावा); लेकिन शामिल नहीं है एक रोडरोलर"।
>
> "ट्रेलर" को धारा 2 (46) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "एक अर्ध-ट्रेलर और एक साइडकार के अलावा कोई भी वाहन, जो एक मोटर वाहन द्वारा खींचा जाए अथवा जिसका मोटर वाहन से खींचा जाना आशयित हो ।"
>
> 16. ट्रेलर से सुसज्जित एक ट्रैक्टर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 (14) में निहित माल वाहन की परिभाषा में हो सकता है

अथवा नहीं भी हो सकता। ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाना था। इस प्रकार, ट्रैक्टर से जुड़े ट्रेलर का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए करना आवश्यक है, जब तक कि अन्यथा पंजीकृत न हो। हो सकता है, जैसे श्रीमती के.शारदा देवी ने दलील दी है कि सब्जियों की ढुलाई कृषि उपज होने के कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रैक्टर का उपयोग कृषि के प्रयोजन से किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रैक्टर और ट्रेलर का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए माल की ढुलाई के लिए किया जा सकता है। मृतक एक व्यापारी था। वह सब्जियों का कारोबार करता था। सब्जियां खरीदने के बाद उसके द्वारा उन्हें बाजार में बिक्री के उद्देश्य से ले जाना था न कि किसी कृषि उद्देश्य के लिए। इसलिए, ट्रैक्टर और ट्रेलर का उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा रहा था हालाँकि, भले ही यह माना जाए कि ट्रेलर धारा 2 (14) मोटर वाहन अधिनियम में निहित "माल वाहन" की परिभाषा में आयेगा, परन्तु मामला आशा रानिल में इस न्यायालय के फैसलों और उसी के अनुसरण में अन्य फैसलों की परीधि में आएगा, क्योंकि दुर्घटना 24-11-1991 पर हुई थी अर्थात 1994 के संशोधन के लागू होने से बहुत पहले हुई थी ।

10. इसके अलावा, प्रत्यर्थी ट्रैक्टर का मालिक नहीं था। वह इसका चालक भी नहीं था। वह केवल ट्रॉली पर यात्रा करने वाला एक यात्री था । इसलिए उसकी दावा याचिका न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी एवं अन्य [2003] 2 एस. सी. सी. 223 में इस अदालत के फैसले को देखते हुए स्वीकार नहीं की जा सकती। जिसमें इस न्यायालय के पूर्व निर्णय न्यू इंडिया एस्योरेंस कं. बनाम सतपाल

सिंह, [2000] 1 एससीसी 237 में पारित किया गया को उलट दिया गया। आशा रानी (उपरोक्त) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

"25. 1988 के अधिनियम की धारा 147, अन्य बातों के साथ-साथ, "सार्वजनिक सेवा वाहन" के किसी भी यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में अनिवार्य कवरेज निर्धारित करती है। इससे जुड़े परन्तुक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सार्वजनिक सेवा वाहन के चालकों और परिचालकों और माल वाहन में ले जाए जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में अनिवार्य कवरेज क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत दायित्व तक सीमित होंगे। यह "माल वाहन" में किसी यात्री की बात नहीं करता है।

26. 1988 के अधिनियम और 1939 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि "किसी भी व्यक्ति" शब्दों के अर्थ को भी जिस संदर्भ में उनका उपयोग किया गया है अर्थात "एक तीसरा पक्ष" को ध्यान में रखते हुए ही निकालना चाहिये । 1988 के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि चूंकि इसके प्रावधान माल वाहन में यात्रा करने वाले किसी भी यात्री के लिए अपने वाहन का बीमा कराने के लिए वाहन के मालिक पर किसी भी वैधानिक दायित्व का निर्धारण नहीं करते हैं, इसलिए बीमाकर्ता इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

27. इसके अलावा, धारा 147 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) किसी वाहन के सार्वजनिक स्थान पर उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न होने वाली किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक

उपहति अथवा किसी तृतीय पक्ष की किसी संपत्ति को होने वाले नुकसान के संबंध में वाहन के स्वामी के दायित्व का निर्धारण करती है। जबकि उपखंड [ii] किसी सार्वजनिक सेवा वाहन के यात्री को किसी वाहन के सार्वजनिक स्थान पर उपयोग के कारण अथवा उससे उत्पन्न हुई शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु के संबंध में वाहन स्वामी के दायित्व का निर्धारण करती है।

[नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड बनाम बोम्मिथी सुब्बयाम्मा एवं अन्य भी देखें], [2005] 12 एस. सी. सी. 243 और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शिमला बनाम. तिलक सिंह और ओआरएस, [2006] 4 एससीसी 404) भी देखें]

11. हालांकि 1994 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रभाव आशा रानी (उपरोक्त) मामले में विचार में नहीं लिया गया था, इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर और अन्य, [2004] 2 एस. सी. सी. 1] में उक्त प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला था। निम्नलिखित शब्दों में:

"17. 1994 के संशोधन के कारण जो जोड़ा गया था वह माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि जो कि वाहन में हो को शामिल करता है। इस प्रकार, उपरोक्त संशोधन के कारण तीसरे पक्ष के अलावा केवल माल का मालिक या वाहन में ले जाए गए उसके अधिकृत प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। अतः इसका बीमा कराने के लिए वाहन के मालिक का दायित्व अनिवार्य रूप से है। इसलिए, संसद का इरादा यह नहीं हो सकता था कि धारा 147 में आने वाले शब्द उन सभी व्यक्तियों को शामिल करेंगे जो किसी भी

क्षमता में माल वाहन में यात्रा कर रहे हों । अगर ऐसा इरादा होता तो, संसद को संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि धारा 147 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के खंड (1) में निहित अभिव्यक्ति कोई भी व्यक्ति में माल का मालिक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि शामिल होता। उन यात्रियों के अलावा जो निःशुल्क या अन्यथा हैं।

18. आशा रानी के मामले में अदालत द्वारा इस संबंध में की गई टिप्पणियाँ, जिसमें हममें से एक, जे. सिन्हा, एक पक्षकार थे, की पुनरावृत्ति आवश्यक है। (एस. सी. सी पेज 235, पैरा 26)

26. 1988 के अधिनियम एवं 1939 के अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों में किये गये परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी राय है कि "किसी भी व्यक्ति" शब्दों के अर्थ को उसी संदर्भ में उपयोग करना चाहिए जिस संदर्भ में उनका उपयोग किया गया है। अर्थात तृतीय पक्ष को 1988 के अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी राय है कि जहां कि उक्त प्रावधान किसी वाहन के स्वामी पर किसी यात्री जो कि माल वाहन में यात्रा कर रहा है के लिए अपने वाहन का बीमा कराने का दायित्व अधिरोपित नहीं करती है। ऐसी दशा में बीमा कर्ता इसके लिए दायित्वाधीन नहीं होगा।

19. *आशारानी* के मामले में यह देखा गया कि 1988 के अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) के खंड ख के उपखंड (i) किसी वाहन के सार्वजनिक स्थान पर उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न होने वाली किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक उपहति अथवा

किसी तृतीय पक्ष की किसी संपत्ति को होने वाले नुकसान के संबंध में वाहन के स्वामी के दायित्व का निर्धारण करती है। इसके लिए किसी यात्री वाहन में यात्रा कर रहे यात्रीगण के जोखिम की सुरक्षा हेतु ऐसे यात्री वाहन के स्वामी द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाना आवश्यक है । 1994 के संधोधन के अनुसार एेसा प्रीमियम मात्र माल के स्वामी अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की सुरक्षा हेतु होगा। परन्तु ऐसे किसी यात्री जो कि माल वाहन में किराया के लिए अथवा निःशुल्क या उपहार के रूप में यात्रा कर रहा है के लिए नहीं होगा ।

12. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 एवं 149 के संदर्भ में बीमा के करार के अर्थान्वयन का प्रश्न इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचारण हेतु हाल ही में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मीनारायण धुत (2007) 4 स्केल 36 के मामले में आया। जिसमें यह निर्णय किया गया-

"24. जैसा कि उपर उल्लेखित किया गया तृृतीय पक्ष और बीमाकर्ता के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है। धारा 149 की शर्तों में वैधानिक हस्तक्षेप के कारण यह मूल रूप से लागू हो जाती है तथा धारा 149 पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।

25. वैधानिक प्रावधानों की पृष्ठभूमि में एक बात पूर्णतः स्पष्ट है कि यह प्रावधान तृतीय पक्ष के लिए लाभदायक है । परन्तु यह लाभ उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को नहीं दिया जा सकता। नकली लाईसेंस के तर्क पर तृतीय पक्ष के दावों के संबंध में एवं स्वयं

के नुकसान के दावों के संबंध में पृथक-पृथक रूप से विचारण किया जाना चाहिए।"

आगे यह निर्धारित किया गयाः

"36. यह सुस्थापित है कि विधायिका द्वारा किसी कानून के निर्माण के उददेश्य के आशय को समझने के लिए न्यायालय शाब्दिक अर्थान्वयन से अलग ऐतिहासिक, प्रासंगिक एवं उददेश्यपूर्ण अर्थान्वयन का सहारा ले सकता है।

37. फ्रांसिक बेनियोन ने अपनी पुस्तक "स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेश्न" में उददेश्यपूर्ण अर्थान्वयन की व्याख्या निम्न प्रकार की हैः-

'एक विधि का उददेश्यपूर्ण विनिर्माण वह है जो विधायिका के उददेश्य को निम्न प्रकार प्रभावशील बनाता-

(क) अधिनियमन के शाब्दिक अर्थ के अनुसार, जहां कि वह अर्थ विधायी उददेश्य के अनुसरण में है, या

(ख) एक क्लिष्ट अर्थ को लागू करके जहां कि शाब्दिक अर्थ विधायी उददेश्य के अनुसरण में नहीं हो ।

38. अक्सर किसी विधि अथवा प्रावधान के शाब्दिक अर्थान्वयन का परिणाम बेतुकापन होता है। इसलिए वैधानिक प्रावधानों का अर्थान्वयन करते समय न्यायालय को जिस उददेश्य के लिए प्रावधान बनाया गया उसे ध्यान में रखना चाहिए। यू.एस. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति फ्रेंक फर्टर ने सम रेफ्लेक्शंस ऑन द रीडिंग्स ऑफ़ स्टैचूटस (47 कोलंबिया लॉ रिपोर्टस 527) शीर्षक के लेख में कहा है

कि विधायिका का उददेश्य किसी रिष्टि को दूर करने, पर्याप्तता प्रदान करने, किसी नीति के प्रावधान को प्रभावशील बनाने, सरकार की किसी योजना को क्रियान्वित करने का होता है। वह उददेश्य वह नीति हवा से नाईट्रोजन की भांति बाहर नहीं निकाली जा सकती। बल्कि उसे विधि की भाषा को उसके अन्य बाह्य उद्देश्य की अभिव्यक्तियों के प्रकाश में पढा जाकर देखा जा सकता है।"

(देखें- द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वारियल एवं अन्य (2007) 5 स्केल 269)

13. हालांकि प्रत्यर्थी संख्या 1 गरीब मजदूर है। उसे गंभीर उपहतियां कारित हुई हैं। वह काफी हद तक विकलांग हो गया है। उसके पक्ष में दिये गये मुआवजे की राशि कम प्रतीत होती है। उपरोक्त स्थिति में य़द्यपि सुश्री इन्दू मल्होत्रा के अन्य तर्कों को अस्वीकार करते हैं, हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि यह निर्देश दिया जा सके कि अवार्ड की तुष्टि अपीलार्थी द्वारा की जा सके। परन्तु वह ट्रेक्टर एवं ट्रॉली के मालिक से इसे वसूल करने का हकदार होगा। जिसके लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उक्त राशि वसूली के लिए पृथक से कार्यवाही प्रारंभ करना आवश्यक नहीं होगा।

14. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में यह न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 सपिठत अनुच्छेद 136 के अनुच्छेद के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पक्षकारों को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

15. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुम राय एवं अन्य [(2006) 4 एस.सी.सी 250] के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया-

"19. इस प्रकार यद्यपि हमारी राय है कि चूंकि न्यायालय के पास वैद्य अनुज्ञा पत्र नहीं था। अतः अपीलार्थी दावाकृत राशि का भुगतान करने के दायित्वाधीन नहीं था। तथा उच्च न्यायालय ने अन्यथा अभिनिर्धारित करने की त्रुटि की थी। हम आलौच्य अवार्ड में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हैं, परन्तु मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हम निर्देश देते हैं की अपीलार्थी स्वामी उसी तरीके से राशि वसूल कर सकता है जैसा कि ननजप्पन के मामले में निर्धरित किया गया ।"

16. उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया ।

अपील स्वीकार की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से **अनुवादक, न्यायिक अधिकारी नरेश सिंह (आर.जे.एस.),** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।